

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

#### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (53) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (42) भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I में-2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और-लेबलकिए गएहो";

(ख) अनुसूची III में-9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटेसे भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्रीपैकेज्ड और लेबल-किए गएहो, से भिन्न " प्रति स्थापित की जाएंगी।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25 क	12 10 2207	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV में-14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (53), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> December 2023

No. F A 3-33/2017/1/V(53) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"92A.	1703	Molasses";

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled";

(B) in Schedule III – 9%,

(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures "of heading 1905", the words and figures "of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled " shall be substituted;

(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use";

(C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.